

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्या दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

सीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता

सिव वाद संख्या :- 100/2024

1. राधेश्याम पुत्र वृजलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सतपाल पुत्र वृजलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

- - वादीगण

बनाम

1. वृजलाल पुत्र मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रामचन्द्र पुत्र मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. रामप्रताप पुत्र मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. रवि कुमार पुत्र ओमप्रकाश नाबालिग जरिये कुदरती बली दादी किस्तुरी पत्नी श्रवण कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. रूकमा पुत्री वृजलाल पत्नी सीताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोटेवाला चक तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. सुमित्रा पुत्री वृजलाल पत्नी सुल्तान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोटेवाला चक तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. चन्द्रकला पुत्री वृजलाल पत्नी रामेश्वरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

- - प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.घोषणा व खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 12.08.2024

वादीगण की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.08.2024 को स्व गुप्ता उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

- (क) नादीसंग संख्या 1 राधेश्याम व वादी संख्या 2 सतपाल को 40डि040 प्राप्त आराजी
चक नम्बर 1 ए.जी. के पत्थर नम्बर 211/346(28) किला नम्बर 9/0208
पश्चिमी दिशा, 10/2/0216, 11/2/0228 हेक्टर।
- (ख) प्रतिवादी संख्या 2 रामचन्द्र को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 1 ए.जी. के पत्थर
नम्बर 211/346(28) किला नम्बर 3/0582 हेक्टर पूर्वी दिशा, 4 5/0508
हेक्टर 6/0034 हेक्टर, 7/0033 हेक्टर प्रत्येक उत्तरी दिशा, 8/0510 हेक्टर
पूर्वी-उत्तरी कोनर।
- (ग) प्रतिवादी संख्या 3 रामप्रताप को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 1 ए.जी. के पत्थर
नम्बर 211/346(28) किला नम्बर 6/0206 हेक्टर, 7/0207 हेक्टर दक्षिणी
दिशा प्रत्येक, 8/0221 हेक्टर, 9/0929 हेक्टर पूर्वी-दक्षिणी दिशा।
- (घ) प्रतिवादी संख्या 4 रवि कुमार को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 1 ए.जी. के पत्थर
नम्बर 211/346(28) किला नम्बर 1/2/0227, 2/0253, 3/0171 पश्चिमी
दिशा।
- (ङ) नादी संख्या 1 राधेश्याम व वादी संख्या 2 सतपाल को 1/2 हिस्सा 40डि040 तथा
प्रतिवादी संख्या 4 रविकुमार को 1/2 हिस्सा में प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 1 ए.
जी. के पत्थर नम्बर 211/346(28) किला नम्बर 6/0013, 7/0013, 8/0013
हेक्टर, 9/0003 हेक्टर मध्य भाग।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर
मुताबिक तकसीम रकम राज अलम से कायम की जाकर चक नम्बर 1 ए.जी. के खाता
संख्या 24/22 में से प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल का नाम कलमजम किये जाने तथा
चक नम्बर 1 ए.जी. के पत्थर नम्बर 211/346(28) किला नम्बर 8/0009, 9/0013,
10/2/0012 हेक्टर उत्तरी दिशा में रास्ता खींचा जाकर राजरव रिजॉर्ड में
मरूमकिन रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजरव
रिजॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजरव) टिप्पणी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि
समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में इसानुसार राजरव रिजॉर्ड में अंकन
किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा
महरी/बाराही/मरूमकिन) पूर्वानुसार ही रहनी जिसमें किसी प्रकार का चढ़ाव
नहीं किया जावेगा।

स्वर्ण फीस अपना-अपना वहन करेंगे। यह शिर्षी आज दिनांक 12-08-2024
को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(स्वर्ण फीस)
सुपरवाइजर अतिरिक्त पद
महान सहायक कोललेक्टर
दिनांक